न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मुकेश कुमार कलाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2017 (GCMS 2017/00124)	20.09.2017	17.12.2020

अनवान

कालु पिता भेरा जाति बागरिया आयु बालिग निवासी आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोर्डेट

–:: अपील विरूद्ध श्री न्यायालय तहसीलदार साहब भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 08.08.2017 प्रकरण संख्या 036/2017 अनुवान सरकार बनाम कालु बागरिया ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.08.2017 जिसमें अपीलांट को 03 माह का सिविल कारावास एवं मौके पर भौतिक अतिक्रमण हटाने एवं दौ सौ रूपये जुर्माना करना कानूनी प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी संख्या 1098 रकबा 0.40 हैक्टर पर अपीलांट का पिढी दर पिढी अतिक्रमण से हर वर्ष फसल बो कर फसली कब्जा निरंतर चला आ रहा है तथा अपीलांट का पिता भेरा बागरिया यही खेती करते हुए मर गया उसके बाद अपीलांट ही वादग्रस्त आराजीयात पर विगत 40 वर्षो से निरंतर खेती कर रहा हैं इस कारण अपीलांट उक्त आराजीयात को अपने नाम पर नियमन कराने की पात्रता रखता है। वादग्रस्त आराजीयात हमेशा बिलानाम रही है और उस बिलानाम में ही अपीलांट का पिढी दर पिढी कब्जा रहा है। वादग्रस्त आराजीयात से अपीलांट को बिना ड्यू प्रोसेस से हटाए औद्योगिक क्षेत्र हेतु गलत आरक्षित की है। इस वादग्रस्त आराजीयात में करीब 40 परिवार भील समाज के बस रहे है उनको राज्य सरकार ने नियमित कर पट्टे दे दिये है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात औद्योगिक क्षेत्र की सिर्फ रेकार्ड में रह गई है मौके की स्थिति दूसरी है। अपी[illegible] आराजीयाज में ही बाप दादाओं के वक्त से ही मकान बना [illegible] कर खेती कर रहे है। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजीयात के अलावा अपीलांट के खेती करने की कोई जगह नहीं है। अपीलांट भूमिहीर होकर सद्भावी कृषक हैं और इसी गांव का रहने वाला है इस कारण आवंटन की पूर्ण पात्रता रखता है। वादग्रस्त आराजीयात किस्म औद्योगिक क्षेत्र हेतु आरक्षित है किन्तु अभी तक न तो किसी को उद्योग लगाने का पट्‌टा दिया गया है और न ही वहां पर वर्तमान में कोई उद्योग है। रेस्पोडेंट स्वयं मान रहा है कि कब्जा अपीलांट को मकान का पट्‌टा दे रखा हैं वह पट्‌टा न जाने कहां कहां अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात के मकान का पट्‌टा जैसे अन्य लोगों को इसी वादग्रस्त आराजी के दिये जैसे नहीं दिया है अपीलांट का उस पट्‌टे वाली जगह पर कतई कब्जा नहीं होकर वादग्रस्त आराजी वाले मकान पर ही कब्जा है। अपीलांट ने अपील करने हेतु निर्णय दिनांक 08.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 25.08.2017 को पेश कर दी थी किन्तु नकल दिनांक 08.09.2017 को अर्थात 15 दिन बाद मिली हैं इस कारण नकल मिलने की दिनांक से अपील आज अंदर अवधि पेश है। वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट का कब्जा किस स्थान पर है उसका नक्शा ट्रेस नहीं बनाया है तथा अपीलांट को मकान का कोई पट्‌टा भी नहीं दे रखा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमा कर उक्त निर्णय दिनांक 08.08.2017 को निरस्त कर वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के नाम पर नियमन करने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार भूपालसागर के पत्रांक/राजस्व/2018/87 दिनांक 14.03.2018 से उनकी पत्रावली संख्या 036/2017 अनवानी सरकार बनाम कालु बागरिया वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। राजकीय अधिवक्ता की और से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील पत्रावली किये जाने की ईश्तदुआ की गई, इस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया गया।

इस पर पत्रावली में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष की सहमति से कार्यवाही ड्रॉप की गई। इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का पिढी दर पिढी फसली कब्जा निरंतर चला आ रहा है तथा अपीलांट का पिता भेरा बागरिया यही खेती करते हुए मर गया उसके बाद अपीलांट ही वादग्रस्त आराजीयात पर निरंतर खेती कर रहा हैं इस कारण अपीलांट उक्त आराजीयात को अपने नाम पर नियमन कराने की पात्रता रखता है। इसके साथ ही तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्रथम सुनवाई के दिन उपस्थिति के हस्ताक्षर कराकर सुनवाई का अवसर चूकने के बावजूद अपीलार्थी की स्वीकृति न होते हुए भी अपीलार्थी की ओर से नाजायज कब्जा स्वीकार करना लिख

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया एवं अगली सुनवाई के दिन ही दिनांक 08.08.2017 को तीन माह के सिविल कारावास की सजा एवं 200/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया जो तार्किक एवं विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक अपास्त फरमाये जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2017 प्रश्नगत आराजी पर लगातार अपीलांट्स द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, चूंकि विवादित आराजीयात उद्योग प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि होकर राजकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण किये जाने पर अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील अपीलांट् खारीज फरमाई जावें। इस पर बहस अपील के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट् ने निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने दावे एवं हक प्रस्तुत किये जाने का समय नहीं दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में बिना किसी साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिये बगैर ही पारित कर दिया गया है जबकि विवादित आराजीयात के संबंध में अपीलांट नियमन की पूर्ण पात्रता रखता है, अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। अपीलांट् द्वारा प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट् का अपीलांट के पूर्वजों का निरन्तर कब्जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आराजीयात के संबंध में नियमन की पात्रता रखता है जबकि प्रश्नगत आराजी संख्या वर्तमान में उद्योग विभाग के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट् का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलांट्स इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात उद्योग विभाग के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2017 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 3 माह सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2017 में आंशिक हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2017 को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2017 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट कालु पिता भेरा जाति बागरिया निवासी आकोला को दी गई 3 माह सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित किया जाता है एवं शेष निर्णय का यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भूपालसागर को पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.12.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2021.01.05 18:46:41 IST
Reason: SelfAttested